

[2023] 3 एस. सी. आर 766

पंजाब राज्य

बनाम

दिल बहादुर

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 844)

28 मार्च, 2023

[न्यायमूर्तिगण एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार]

सजा/सजा-उच्च न्यायालय का सिद्धांत हालांकि प्रत्यर्थी-अभियुक्त की अपराधों के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि करता है। 279 और 304 ए, आई. पी. सी. ने हालांकि सजा को दो साल से घटाकर आठ महीने कर दिया-का औचित्य-आयोजित:सजा को कम करते समय, उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और जिस तरह से अभियुक्त ने अपराध किया है, उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है-अभियुक्त की ओर से लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गए-उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि आई. पी. सी. दंडात्मक और निवारक प्रकृति का है-मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य आई. पी. सी. के तहत किए गए अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करना है और अपराध और सजा के बीच आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में अपास्त करना होगा-इसके अलावा, न्यायसंगत सजा का सिद्धांत एक आपराधिक अपराध के संबंध में सजा का आधार है-हालांकि, सजा का सिद्धांत सुधारात्मक उपायों को मान्यता देता है, लेकिन ऐसे अवसर हैं जब मामले के तथ्यों के आधार पर प्रतिरोध एक अनिवार्य आवश्यकता है-विवादित 279, 304 मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह (2015) 1

एससीसी 222:[2014] 13 एस. सी. आर. 554; पंजाब राज्य बनाम सौरभ बखशी (2015) 5 एस. सी. सी. 182:[2015] 3 एससीआर 590; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रामचंद्र रविदास

(2019) 10 एससीसी 75:[2019] 15 एससीआर 771-पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

[2014] 13 एससीआर 554	पर भरोसा किया गया	पैरा 3
[2015] 3 एससीआर 590	पर भरोसा किया गया	पैरा 3
[2019] 15 एससीआर 771	पर भरोसा किया गया	पैरा 5.1

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार -2023 की आपराधिक अपील संख्या 844।

2016 के सी. आर. आर. सं. 4113 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री कनिका आहूजा, करण शर्मा, ऋषभ शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

आफताब अली खान, एम. जेड. चौधरी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह, जे. द्वारा दिया गया था-

1. चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में सीआरआर संख्या 4113/2016 होने पर दिए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा, हालांकि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, हालांकि, सजा को दो साल से घटाकर आठ महीने कर दिया है, जो रुपये की पूर्व जमा राशि के अधीन है। 25, 000/- मृतक के परिवार/कानूनी उत्तराधिकारी को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए, पंजाब राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. वह प्रत्यर्थी -मूल अभियुक्त जल्दबाजी और लापरवाही से स्कॉर्पियो कार चला रहा था, जिसके कारण बाईं ओर से एम्बुलेंस लेते समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी की ओर से जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण-एम्बुलेंस में बैठे दो व्यक्तियों को भी चोटें आईं। टक्कर के कारण, वास्तव में, एम्बुलेंस कछुआ बन गई, जो दर्शाता है कि जिस तरह से आरोपी स्कॉर्पियो को तेज गति से चला रहा था। प्रत्यर्थी पर आई. पी. सी. की धारा 279 और 304 ए के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 279 और 304 ए के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और अभियुक्त की सजा की पुष्टि विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा की विद्वान। अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, हालांकि उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत अपराध के लिए आरोपी की दोषसिद्धि की पुष्टि की है, हालांकि, एस. आई. की सजा को घटाकर आठ महीने कर दिया है, बशर्ते कि रुपये की पूर्व जमा राशि हो। 25, 000/-। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस समय उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन का फैसला किया था, उस समय आरोपी को सात महीने और पंद्रह दिनों की वास्तविक सजा सुनाई गई थी और इसलिए, ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने सजा को घटाकर केवल आठ महीने कर दिया है।

2.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के खिलाफ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत अपराध के लिए सजा को घटाकर आठ महीने कर दिया है, पंजाब राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री कनिका आहूजा ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने में गंभीर गलती की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सजा को कम करते हुए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के प्रति अनुचित सहानुभूति दिखाई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सजा को कम करते समय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा अपराध करने के तरीके की उचित रूप से सराहना और/या विचार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि आरोपी की ओर से लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई और दो व्यक्तियों को चोटें आईं जो एम्बुलेंस में यात्रा कर रहे थे।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपी इतनी तेज गति से स्कॉर्पियो (कार) चला रहा था और वह भी जब वह क्रॉस रोड पर था, जल्दबाजी और लापरवाही से और टक्कर के कारण एम्बुलेंस पलट गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में अनुचित सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए थी, जिसके लापरवाही और लापरवाही के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई और दो व्यक्ति घायल हो गए।

3.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णयों पर भरोसा करना

इस न्यायालय के मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह (2015) 1 एस. सी. सी. 222 और पंजाब राज्य बनाम सौरभ बख्शी (2015) 5 एस. सी. सी. 182 के मामले में, वर्तमान की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित और विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा पुष्टि की विद्वान सजा के विरुद्ध अपील करें और उसे बहाल करें।

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सहायता समिति द्वारा नियुक्त प्रत्यर्थी -अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री आफताब अली खान ने कहा है कि कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने रुपये की पूर्व जमा राशि पर सजा को घटाकर आठ महीने कर दिया है। 25, 000/- ए की ओर मृतक के परिवार/कानूनी उत्तराधिकारी को दिए जाने वाले मुआवजे में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी -अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है और केवल एक चालक था और इसलिए, यदि उसे दो साल के आर. आई. से गुजरने के लिए भेजा जाता है, तो उसे और उसके परिवार के सदस्यों को नुकसान होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार किया गया है और उच्च न्यायालय ने सजा को कम कर दिया है, तो इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

5. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी -अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 279 और

304 ए के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। उपरोक्त अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा की गई है। हालाँकि, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप विद्वान है और सजा को दो साल से घटाकर आठ महीने कर दिया है। हालाँकि, सजा को कम करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और जिस तरह से आरोपी ने अपराध किया और लापरवाही से स्कॉर्पियो को चलाया, उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया, जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई और एम्बुलेंस में यात्रा कर रहे दो व्यक्तियों को चोटें आईं। उच्च न्यायालय ने भी उचित रूप से सराहना नहीं की है और इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि टक्कर के कारण एम्बुलेंस कछुआ बन गई। यह एम्बुलेंस पर प्रभाव और आरोपी की ओर से लापरवाही से गाड़ी चलाने को दर्शाता है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत अपराध के लिए दो साल के आर. आई. से गुजरने की सजा विद्वान ते समय ठोस कारण दिए गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की ओर से यह मामला कि वह एक गरीब परिवार से आ रहा है, कम करने वाली परिस्थिति मानी जाती है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने ठीक से विचार नहीं किया है कि आरोपी की ओर से लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई और एम्बुलेंस में यात्रा कर रहे दो व्यक्ति घायल हो गए।

5.1 उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि आई. पी. सी. दंडात्मक और निवारक प्रकृति का है। इसका मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य आई. पी. सी. के तहत किए गए अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करना है। धारा 279 और 304 ए को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अभियुक्त का कार्य लापरवाही और जल्दबाजी वाला हो। जैसा कि इस न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम के मामले में कहा है।

रामचंद्र रबिदास (2019) 10 एस. सी. सी. 75, यह न्यायालय बार-बार मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों को सख्ती से दंडित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तेजी से बढ़ते मोटरकरण के साथ, भारत सड़क यातायात चोटों और मौतों के बढ़ते बोझ का सामना कर रहा है। एक कमाने वाले, या परिवार के किसी अन्य सदस्य को खोने पर परिवार को हुए वित्तीय नुकसान, भावनात्मक और सामाजिक आघात, या पीड़ित की अक्षमता की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है। जैसा कि देखा और माना जाता है, अपराध और सजा के बीच आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि देखा गया है कि न्यायसंगत सजा का सिद्धांत आपराधिक अपराध के संबंध में सजा का आधार है।

5.2 इस स्तर पर, सौरभ बख्शी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय, जिसमें यह न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत अपराध पर विचार कर रहा था, को संदर्भित करने की आवश्यकता है। सजा सुनाने के सिद्धांत पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:-

“प्रख्यात विचारक और लेखक सोफोकल्स ने सदियों पहले कहा था: “कानून को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि भय उनका समर्थन नहीं करता।” इस कथन की प्रासंगिकता, एक तरह से, आज के समाज में भारी जोश के साथ है। यह प्रत्येक सही सोच रखने वाले नागरिक का कर्तव्य है कि वह कानून के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे ताकि एक व्यवस्थित, सभ्य और शांतिपूर्ण समाज का उदय हो सके। यह ध्यान में रखना होगा कि कानून किसी भी तरह की अराजकता के खिलाफ है। यह पूरी तरह से अराजकता के प्रति असहिष्णु है। यदि कोई कानून की अवहेलना करता है, तो उसे कानून के प्रकोप का सामना करना पड़ता है, जो आनुपातिकता की अवधारणा पर निर्भर करता है जिसे कानून मान्यता देता है। यह कभी नहीं भुलाया जा सकता है कि सक्षम विधानसभाओं द्वारा विधिबद्ध आपराधिक कानून का उद्देश्य, संवैधानिक रूप से स्थापित मापदंडों के भीतर न्यायिक जांच के अधीन, सामूहिक हित की रक्षा करना और सामूहिक रूप से एक घटक बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनुचित खतरों से बचाना है। कभी-कभी यह अहंकारी और असभ्य तरीके से कहा जाता है कि कानून व्यक्तिगत कार्यों को बांध नहीं सकता है जिन्हें लोगों के बड़े समूह द्वारा खामियों के रूप में माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है और होनी चाहिए कि जब कानून लोकतंत्र में संवैधानिक जांच की कसौटी का सामना करता है, तो व्यक्तिगत धारणाओं को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। कभी-कभी कुछ अपराध समाज पर अपराध की प्रकृति और प्रभाव के आधार पर अधिक महत्व और गंभीरता धारण करते हैं। किसी भी न्यायालय को दया के जुनून से प्रभावित होने की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह न्यायालय का दायित्व है कि वह लगातार खुद को याद दिलाए कि पीड़ित का अधिकार, और ऐसा कहा जाए, कुछ अवसरों पर पीड़ित व्यक्ति के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज पीड़ित हो सकता है, कभी भी हाशिए पर नहीं रखा जा सकता है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति बेंजामिन एन. कार्डोजो के कथन को दोहराया जा सकता है “न्याय, हालांकि अभियुक्त के कारण है, लेकिन अभियुक्त के कारण भी है।” और, इसलिए, आवश्यक मानदंड पूर्ववर्ती में निर्धारित स्थापित सिद्धांत होने चाहिए। यह न तो भावुकता की भावना से निर्देशित होना है और न ही पूर्वाग्रहों से नियंत्रित होना है।”

5.2.1 यह आगे देखा गया है कि सजा का सिद्धांत सुधारात्मक उपायों को मान्यता देता है, लेकिन ऐसे अवसर भी आते हैं जब मामले के तथ्यों के आधार पर निरोध एक अनिवार्य आवश्यकता होती है।

5.2.2 उपरोक्त निर्णय में, उच्च न्यायालय ने सजा को कम कर दिया और इस सिद्धांत को लागू करते हुए दया दिखाई कि मुआवजे का भुगतान कटौती का एक कारक है। इस पर, इस न्यायालय ने कहा है कि यह पूरी तरह से गलत सहानुभूति के दायरे में है। यह एक तरह से न्याय का मजाक है। यह निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता है:-

“कहने की जरूरत नहीं है कि सजा का सिद्धांत सुधारात्मक उपायों को मान्यता देता है, लेकिन ऐसे अवसर भी आते हैं जब मामले के तथ्यों के आधार पर निरोध एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। हमारी राय में, यह एक उपयुक्त मामला है जहां हम यह कहने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को लागू करने में दया की भावना से प्रभावित हुआ है कि मुआवजे का भुगतान सजा को घटाकर 24 दिन करने का एक कारक है। यह पूरी तरह से गलत सहानुभूति के दायरे में है। यह एक तरह से न्याय का मजाक है। क्योंकि न्याय “सर्वोच्च गौरव” है, “संप्रभु

मालकिन" और "पुण्य की रानी" जैसा कि सिसरो ने कहा था। इस तरह का अपराध न केवल पीड़ितों के जीवन को बल्कि उनके आसपास के कई अन्य लोगों के जीवन को भी धूमिल करता है। यह अंततः न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को तोड़ देता है।” 5.2.3 सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, उक्त निर्णय में निम्नानुसार देखा गया है:-

“भारत में सड़क दुर्घटनाओं का निराशाजनक रिकॉर्ड है। चालकों के बीच लापरवाह रवैया है। उन्हें लगता है कि वे उन सभी के सम्राट हैं जिनका वे सर्वेक्षण करते हैं।” शराबीपन लापरवाही से गाड़ी चलाने में योगदान देता है जहाँ अन्य लोग उनका शिकार बन जाते हैं। गरीब महसूस करते हैं कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, पैदल चलने वाले अनिश्चितता के बारे में सोचते हैं और सभ्य व्यक्ति लगातार डर में गाड़ी चलाते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों के अप्रिय रवैये के बारे में आशंकित होते हैं जो खुद को "जीवन से बड़ा" बताते हैं।” इस तरह की प्राप्ति में इन परिस्थितियों में, सांसदों को आई. पी. सी. की धारा 304-ए में सजा देने की नीति की जांच, पुनर्विचार और पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए भारी पीड़ा के साथ।”

5.3 इस स्तर पर, सुरेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय, जो आई. पी. सी. की धारा 279 और 304 ए के तहत अपराधों पर भी है, को संदर्भित करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, विद्वत विचारण न्यायालय ने आरोपी को धारा 304 ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा विद्वान ई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को दो साल आर. आई. से घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया और 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया। 2000/- मृतक की विधवा/माता को देय। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए और सजा को कम करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 6 से 14 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“6. तत्काल मामले में, सबूतों की उचित समीक्षा के बाद निचली विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी ने लापरवाही से सार्वजनिक सड़क पर जीप चलाकर विजय के जीवन को खतरे में डाल दिया था। अभियुक्त ने जीप को पहले एक पुलिया और फिर एक बाबुल के पेड़ से टक्कर मार दी। ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप जीप में यात्रा कर रहे विजय सिंह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, और जीप में सवार एक अन्य व्यक्ति मंगीलाल को भी चोटें आईं। हमारी राय है कि निचली विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं की है और निचली विचारण न्यायालय के अभियुक्त निष्कर्षों द्वारा दायर अपील में पुष्टि की गई है। हालांकि, साक्ष्य की उचित सराहना और अपराध की गंभीरता पर विचार किए बिना, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोषसिद्धि को पहले से गुजर चुकी अवधि में संशोधित करके अनुचित सहानुभूति दिखाई है।

7. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश [सुरेंद्र सिंह बनाम एम. पी. राज्य, 2008 का आपराधिक संशोधन संख्या 3, आई. डी. 1 (एम. पी.) पर निर्णय] पारित करते हुए इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अपर्याप्त सजा देने के माध्यम से अनुचित सहानुभूति कानून की

प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करने के लिए न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी और समाज लंबे समय तक गंभीर खतरों का सामना नहीं कर सकता है। अगर अदालतें करती हैं घायलों की रक्षा नहीं करते हुए, घायल तब व्यक्तिगत प्रतिशोध का सहारा लेते थे। इसलिए, किसी भी न्यायालय का कर्तव्य अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा देना है। (सेवका पेरुमल बनाम टी. एन. राज्य देखें। [(1991) 3 एस. सी. सी. 471:1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 724:ए. आई. आर 1991 एस. सी. 1463])

8. धनंजय चटर्जी बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. [(1994) 2 एस. सी. सी. 220

:1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 358] इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पी. 239, पैरा 14-15)

“14. हाल के वर्षों में, बढ़ती अपराध दर-विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध ने अदालतों द्वारा आपराधिक सजा को चिंता का विषय बना दिया है। आज स्वीकार की गई असमानताएँ हैं। कुछ अपराधियों को बहुत कठोर सजा मिलती है जबकि कई को अनिवार्य रूप से समान अपराध के लिए बहुत अलग सजा मिलती है और आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में दंडित भी नहीं किया जाता है जिससे अपराधी को प्रोत्साहित किया जाता है और अंततः न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करके पीड़ित होता है। बेशक, सजा के अधिरोपण से संबंधित कोई कट एंड ड्राई फॉर्मूला निर्धारित करना संभव नहीं है, लेकिन सजा देने का उद्देश्य यह देखना होना चाहिए कि अपराध को बख्शा न जाए और अपराध का शिकार होने वाले व्यक्ति के साथ-साथ समाज को भी संतोष हो कि उसके साथ न्याय किया गया है। सजा देने में, विशिष्ट विधान के अभाव में, न्यायाधीशों को विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए और उन सभी कारकों पर विचार करने और स्थिति का समग्र दृष्टिकोण लेने के बाद, ऐसी सजा देनी चाहिए जिसे वे उचित मानते हैं। उग्रकारी कारकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसी तरह कम करने वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15. हमारी राय में, किसी दिए गए मामले में सजा का पैमाना अपराध के अत्याचार पर निर्भर होना चाहिए; अपराधी का आचरण और पीड़ित की रक्षाहीन और असुरक्षित स्थिति। उचित सजा का अधिरोपण वह तरीका है जिसमें अदालतें अपराधियों के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देती हैं। न्याय की मांग है कि अदालतों को अपराध के लिए उपयुक्त सजा देनी चाहिए ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित कर सकें। अदालतों को उचित सजा देने पर विचार करते समय न केवल अपराधी के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि अपराध के पीड़ितों और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।”

9. इस पहलू पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने महेश बनाम एम. पी. राज्य [(1987) 3 एस. सी. सी. 80:1987 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 379:(1987) 2 एससीआर 710] ने टिप्पणी की कि: (एस. सी. सी. पृष्ठ 82, पैरा 6) “6. ... इस तरह के साक्ष्य और

इस तरह के क्रूर कृत्यों का सामना करने पर इन अपीलार्थियों को कानून के चरम दंड से बचने की अनुमति देना न्याय का मजाक होगा। अपीलार्थियों को कम सजा देना इस देश की न्याय प्रणाली को संदिग्ध बनाना होगा। आम आदमी अदालतों में विश्वास खो देगा। ऐसे मामलों में, वह सुधारात्मक शब्दजाल से अधिक प्रतिरोध की भाषा को समझते हैं और उसकी सराहना करते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं, तो हम सजा देने की प्रक्रिया में सुधारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं करते हैं।” 10. हजारा सिंह बनाम राज कुमार [(2013) 9 एस. सी. सी. 516:(2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 159] इस न्यायालय ने कहा है: (एस. सी. सी. पी. 521, पैरा 10)

“10. ... उचित सजा देने के लिए सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना न्यायालयों का कर्तव्य है। विधायिका ने न्यायपालिका को सजा देने की नीति में इतना बड़ा विवेकाधिकार दिया है, जिसका उपयोग अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। दी गई सजा अपराध की प्रकृति और परिमाण के सीधे अनुपात में होनी चाहिए। आनुपातिक सजा के मानदंड न्यायाधीशों को एक निष्पक्ष और निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने में सहायता कर सकते हैं।”

इस न्यायालय ने आगे कहा कि: (हजारा सिंह मामला [(2013) 9 एस. सी. सी. 516:(2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 159], एस. सी. सी. पी. 521, पैरा 11)

“11. सजा देने की नीति का मुख्य सिद्धांत यह है कि एक अपराधी को दी गई सजा उसके द्वारा किए गए अपराध को दर्शाती होनी चाहिए और यह अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार कई मामलों में अपराधियों को सजा देने में आनुपातिकता की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया है।”

11. शैलेश जसवंतभाई बनाम गुजरात राज्य में [(2006) 2 एससीसी 359 :(2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 499] सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि: (एस. सी. सी. पी. 361-62, पैरा 7-8)

“7. कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों का मध्यस्थता करता है। व्यक्तियों और लोगों की संपत्ति की सुरक्षा राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। इसे आपराधिक कानून की साधनता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निस्संदेह, एक क्रॉस-ए है सांस्कृतिक संघर्ष जहां जीवित कानून को नई चुनौतियों का जवाब ढूंढना चाहिए और अदालतों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजा प्रणाली को ढालने की आवश्यकता होती है। अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर देगा और इसे बर्बाद कर देगा। समाज की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे उचित सजा देकर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, 'व्यवस्था' की आधारशिला के रूप में कानून को समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। फ्रीडमैन ने अपने लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी में कहा है: 'आपराधिक कानून की स्थिति समाज की सामाजिक चेतना का एक निर्णायक प्रतिबिंब बनी हुई है-जैसा कि होना चाहिए।' इसलिए, सजा देने की प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक तंत्र या प्रतिरोध को अपनाना चाहिए। कुशल मॉड्यूलेशन द्वारा, सजा देने की प्रक्रिया जहाँ होनी चाहिए वहाँ कठोर

होनी चाहिए, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ दया के साथ संयमित होना चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और दी गई परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरीके से इसकी योजना बनाई गई थी और किया गया था, अपराध करने का उद्देश्य, अभियुक्त का आचरण, उपयोग किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी उपस्थित परिस्थितियाँ प्रासंगिक तथ्य हैं जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।⁸ इसलिए, अपर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति कानून की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करने के लिए न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी और समाज इस तरह के गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता है। इसलिए, प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या किया गया था, आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे।”

12. अहमद हुसैन वली मोहम्मद सैयद न्यायालय गुजरात राज्य [(2009) 7 एस. सी. सी. 254:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 368] निम्नलिखित रूप में देखा गया:(एस. सी. सी. पी. 281, पैरा 99-100)

“99. ... उचित सजा देने का उद्देश्य समाज की रक्षा करना और अपराधी को उचित सजा देकर कानून तोड़ने के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने से रोकना होना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि अदालतें सजा देने की प्रणाली का संचालन करेंगी ताकि ऐसी सजा दी जा सके जो समाज की अंतरात्मा को दर्शाती है और सजा देने की प्रक्रिया को जहां होना चाहिए, वहां सख्त होना चाहिए। मामूली वाक्यों को लागू करके या बहुत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर कोई भी उदार रवैया केवल ऐसे अपराधों के संबंध में समय बीतने के कारण दीर्घकालिक रूप से और समाज के हित के खिलाफ प्रतिकूल परिणाम होगा, जिसकी सजा देने की प्रणाली में अंतर्निहित प्रतिरोध की कड़ी द्वारा देखभाल और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

100. न्याय की मांग है कि अदालतों को अपराध के लिए उपयुक्त सजा देनी चाहिए ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित कर सकें। न्यायालय को उचित सजा देने पर विचार करते समय न केवल अपराध के पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल होगी यदि किसी ऐसे अपराध के लिए उचित सजा नहीं दी जाती है जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ बल्कि उस समाज के खिलाफ भी किया गया है जिससे अपराधी और पीड़ित दोनों संबंधित हैं।”

13. हम इस मामले में फिर से दोहराते हैं कि अपर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति कानून की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करने के लिए न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी। प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। सजा सुनाने वाली अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वे सजा के सवाल से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें और अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा देने के लिए आगे बढ़ें। न्यायालय को उचित सजा देने पर विचार करते समय न केवल अपराध के पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अपराध

की डिग्री पर विचार किए बिना केवल समय बीतने के कारण दी गई मामूली सजा लंबे समय में और समाज के हित के खिलाफ प्रतिकूल होगी।

पी. बबलू बनाम राज्य [(2014) 9 एससीसी 281:(2014) 6 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1]में हाल ही में लिए गए निर्णय में, पहले के निर्णयों पर विचार करने और उनका पालन करने के बाद, इस न्यायालय ने कानून के तय किए गए प्रस्ताव को दोहराया कि आपराधिक कानून के प्रमुख उद्देश्यों में से एक पर्याप्त, न्यायसंगत, आनुपातिक सजा का अधिरोपण है जो अपराध की गंभीरता, प्रकृति और अपराध करने के तरीके के अनुरूप है। अपराध की गंभीरता के साथ सजा के निर्धारक कारक पर विचार करते समय समाज के सामाजिक हित और विवेक को ध्यान में रखना चाहिए। सजा इतनी उदार नहीं होनी चाहिए कि यह समाज की अंतरात्मा को झकझोर दे। यह है, ए

इसलिए, कम सजा देने के रूप में सजा देते समय उचित संतुलन बनाने का न्यायालय का गंभीर कर्तव्य किसी भी अपराधी को प्रोत्साहित करता है और इसके परिणामस्वरूप, समाज पीड़ित होता है।

5.4 सुरेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के प्रति अनुचित सहानुभूति दिखाते हुए पुष्टि की गई विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप विद्वान गया है, अस्थिर है और इसे रद्द करने और अपास्त करवाने योग्य है।

6. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत अपराध के लिए सजा को दो साल के आर. आई. से घटाकर आठ महीने के एस. आई. तक बनाए रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय (विद्वत सत्र न्यायालय) द्वारा पुष्टि की गई विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को एतद्वारा बहाल विद्वान जाता है। अब शेष सजा भुगतने के लिए अभियुक्त को हिरासत में लिया जाए। अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। तदनुसार, वर्तमान अपील की अनुमति है।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक अग्निहोत्री और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)